भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

04.12.2024 के

अतारांकित प्रश्न सं. 1391 का उत्तर

षोरणूर रेलवे स्टेशन के निकट चार सफाई कर्मचारियों की मृत्यु

1391. श्री हैबी ईडन:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा षोरणूर रेलवे स्टेशन के निकट तिरुवनंतपुरम जाने वाली केरल एक्सप्रेस द्वारा हाल ही में चार सफाई कर्मचारियों की कुचलकर मौत हो जाने के मामले में कोई कार्रवाई की गई है;

(ख) रेलवे द्वारा निर्धारित सफाई कर्मचारियों के नियोजन की निबंधन और शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 द्वारा उक्त सफाई कर्मचारियों का नियोजन निषिद्ध है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा उनके नियोजन का क्या औचित्य है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

षोरणूर रेलवे स्टेशन के निकट चार सफाई कर्मचारियों की मृत्यु के संबंध में दिनांक 04.12.2024 को लोक सभा में श्री हैबी ईडन के अतारांकित प्रश्न सं. 1391 के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (घ) दिनांक 02.11.2024 को कार्य पूरा होने के बाद कामगारों को समपार संख्या 1 पर लौटना था और सड़क के रास्ते षोरणूर वापस जाना था। दुर्भाग्य से, उन्होंने पुल के रास्ते से छोटा मार्ग अपनाया। पुल पार करते समय, रेलगाड़ी पुल पर आ गई और कामगार ट्रॉली शरण क्षेत्र तक नहीं पहुंच सके। अन्तरिम राहत के उपाय के रूप में, रेलवे द्वारा प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 1,00,000/- (एक लाख) रुपए की राशि संवितरित की है।

संविदा की विशेष शर्तों के अनुसार, ठेकेदार को कार्य के निष्पादन के दौरान और/अथवा पटरियां पार करते समय अपने नियुक्त किए गए कामगारों की संरक्षा सुनिश्चित करनी थी।

कार्य में रेल पटरियों के आस-पास प्लास्टिक/पेपर कप, प्लेट, प्लास्टिक की बोतलें आदि बिनना शामिल था, जो हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है।

*****